फर्द अहकाम

गोकुलनारायण **बनाम** आशादेवी व अन्य

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 21/2022

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	14/10/24	आज दिनांक 14/10/24 को पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा आज कन्डोलेस/कार्य बहिष्कार किये जाने के कारण न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकी। पी.ओ.सा. अन्य कार्य में व्यस्त/अवकाश पर है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 23/10/24 को पेश हो।
	23/10/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्तागण उभयपक्ष उपस्थित। पुनः बहस (अंतिम) उभयपक्षगान की सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 06/11/24 को पेश हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर
	06/11/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्तागण उभयपक्ष उपस्थित। उभयपक्षगान की बहस अंतिम व तथ्यों पर मनन किया व पत्रावली का गौरपूर्वक अवलोकन किया। उभयपक्षगान के अभिकथनों एवं प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेजात के समग्र विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि वाद अधीन उल्लेखित भूमि वादग्रस्त आ.ख.नं. 870, 871 वादी व प्रारम्भिक प्रतिवादीगण सं. 29 ता 31 की एकल खातेदारीता की भूमि है। जिसके संबंध में प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध सरोकार व हक अधिकार सिद्ध नहीं होता है तथा कब्जा काश्त के संदर्भ में भी प्रस्तुत दस्तावेजात (खसरा गिरदावरी) अनुसार भी भूमि के संदर्भ में हक अधिकारिता वादी की सिद्ध होती है तथा भूमि क्रय किये व मिन्दर कब्जाकाश्त के संदर्भ में प्रतिवादी पक्ष द्वारा अपने हक अधिकार सम्बन्धित कोई सहायक कलक्टर मुख्यालय-जयपुर

फर्द अहकाम

गोकुलनारायण **बनाम** आशादेवी व अन्य

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

21/2022

आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	प्रमाणित व सिद्ध नहीं किए जा सके हैं। इसके अतिरिक्त भी वादी की ओर से स्वयं की अभिलिखित खातेदारीता व कब्जा काश्त की भूमि के संदर्भ में वाद प्रस्तुत किया गया है। जबकि प्रतिवादी के कथन काउन्टर क्लेम के विषय है। जो प्रथम साक्ष्य अनुसार प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था, परन्तु प्रतिवादी पक्ष की ओर से कोई काउन्टर क्लेम भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे अभिलिखित खातेदारीता के परिप्रेक्ष्य में ही वाद का निस्तारण अपेक्षित है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण 01 ता 16, 18 ता 27 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे ग्राम अटकियां तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित भूमि आराजी खसरा नं. 870 रकबा 0.22 है. आराजी खसरा नं. 871 रकबा 0.1700 है. जो कि वादी व प्रतिवादीगण (प्रारम्भिक) सं. 29 ता 31 की खातेदारीता की भूमि है, में वादी के निर्बाध कब्जाकाश्त में किसी प्रकार की मदाखलत ना करें, ना ही उक्त भूमि की सीमाओं में किसी प्रकार का अवैधिक निर्माण कार्य करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय सुनाया गया। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर संलग्न है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.01.29 15:54:34 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर, मुख्यालय,जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : डॉ. लक्ष्मीनारायण बुनकर
वाद संख्या : 21/2022
निर्णय दिनांक : 06.11.24

1. गोकुल नारायण पुत्र बालू जाति ब्राह्मण
निवासी ग्राम अरनिया तहसील आमेर जिला जयपुर।

—वादी

बनाम

1. आशा देवी पुत्री उमराव
2. कल्याण पुत्र रूडा
3. केशन्ता पुत्री काल्या
4. किरण पुत्री फूला
5. गीता देवी पुत्री उमराव
6. गोपाल पुत्र फूला
7. छोटूराम पुत्र रूडा
8. जगदीश पुत्र रूडा
9. जगमाल पुत्र उपराव
10. जडी देवी पत्नी उमराव
11. दुर्गा देवी पुत्री फूला
12. नानगराम पुत्र उमराव
13. नारंगी देवी पुत्री उमराव
14. प्रेम देवी पुत्री काल्या
15. पांची देवी पुत्री उमराव
16. भरता पुत्र रूडा
17. शान्ति पत्नी फूला (मृतक)
18. मुनेश पुत्र फूला
19. राजेश कुमार पुत्र उमराव
20. राजा पुत्री फूला
21. रामसिंह पुत्र फूला
22. लक्ष्मा पुत्री फूला मीणा
23. समदा पुत्र लाद्या
24. सुवा पुत्र हनुमान
25. सन्ती पत्नी साधा
26. तेजपाल पुत्र साधा
27. भग्गचन्द पुत्र साधा
28. सीताराम पुत्र लाद्या (अविवाहित फौत)
समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम अरनिया तहसील आमेर जिला जयपुर।

—प्रतिवादीगण

29. मेवा देवी पुत्री रामेश्वर पत्नि कैलाश जाति ब्राह्मण
निवासी ग्राम बोबाडी तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।
30. मिश्री देवी पुत्री रामेश्वर पत्नि [illegible] जाति ब्राह्मण
निवासी बोबाडी तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।
31. हजारी लाल पुत्र रामेश्वर जाति ब्राह्मण
निवासी ग्राम अरनिया तहसील आमेर जिला जयपुर।
32. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर जिला जयपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.01.29 15:54:34 IST
Reason: SelfAttested

—तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा
निर्णय

वादीगण की ओर से वाके ग्राम अरनिया तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित भूमि/विवादित भूमि आ.ख.नं. 870 रकबा 0.22 है., आ.ख.नं. 871 रकबा 0.1700 है., जो कि वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय–जयपुर

उक्त वर्णित भूमि के पश्चिम दिशा की सींव जोड (सीमा जोड) स्थित आ.ख.नं. 868 रकबा 0.2500 है., आ.ख.नं. 869 रकबा 0.2600 है., जो कि प्रतिवादीगण सं 1 ता 28 की संयुक्त खातेदारिता/सहखातेदारिता की भूमि है के संदर्भ में हस्तगत वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर अभिकथन किया गया है कि ग्राम अरनियां तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित भूमि भूमि ख.नं. 419, 421, 422, 425, 426 ता. 432, 438, 439, 443, 870, 871 कुल खसरा किता 16 कुल रकबा 3.3700 है. भूमि वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण 29 ता 31 की संयुक्त खातेदारिता की भूमि है। जिसके अंतर्गत वादी का 1/2 हिस्सा निहित है। उक्त वर्णित भूमि में से आराजी भूमि ख.नं. 870 व 871 की पश्चिमी दिशा के सीमा जोड स्थित भूमि खं.नं. 868 व 869 प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारिता/सहखातेदारिता की भूमि है जो कि प्रस्तुत वाद के अंतर्गत विवादित भूमि है। वादी व प्रतिवादीगण की उक्त वर्णित भूमि सींव जोड होने से प्रतिवादीगण (1 ता 16, 18 ता 27) द्वारा वादी व प्रतिवादीगण सं 29 ता 31 की खातेदारिता की कब्जेशुदा भूमि में नाजायज तरीके से जबरन प्रवेश कर वादी को बेदखल करने की चेष्टा की जा रही है। इसी आशय से वादी के कब्जेकाश्त में मदाखल निरन्तर पैदा किये जा रहे है तथा वादी की कब्जेशुदा आराजी की सीमाओं में गैर कानूनी रूप से निर्माण करने पर आमादा है। इसी क्रम में दिनांक 04.03.2022 को भी प्रतिवादीगण (1 ता 16, 18 ता 27) द्वारा वादी की खातेदारी भूमि पर जबरन निर्माण सामग्री डालने की कोशिश दी गई। जिस पर वादी के विरोध करने पर प्रतिवादीगण के सफल नहीं होने पर उक्त प्रतिवादीगण जोकि मीणा जाति के सदस्य है द्वारा वादी को एस.टी., एस.सी. के झूठे मुकदमो में फैसाने की धमकी दी गई। जिससे वादी को वादकारण उत्पन्न होकर वाद न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करना आवश्यक व लाजमी हुआ है। जिसके अंतर्गत वादी व प्रतिवादीगण सं 29 ता 31 हक अधिकार उक्त विवादग्रस्त भूमि में समान है, परन्तु वाद तैयार करते समय प्रतिवादीगण सं 29 ता 31 के उपस्थित नहीं होने पर तरतीबी पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया है। जिससे वाद माध्यम से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है तथा प्रतिवादीगण सं 17 व 28 की मृत्यु हो चुकी है परन्तु इनका नाम रिकॉर्ड में दर्ज होने से पक्षकार बनाया जाकर मृतक अंकित किया गया है। जिनसे भी किसी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहा गया है। अतः वाद वादी स्वीकार/डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण (1 ता 16, 18 ता 27) को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे ग्राम अरनिया तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित वादी की खातेदारिता/सहखातेदारिता की कब्जेशुदा भूमि आ.ख.नं. 870 व 871 की सीमा में वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत, किसी प्रकार का कच्चा–पक्का निर्माण कार्य ना करे व मौके की यथास्थिति बनाये रखे तथा वादी को अपनी खातेदारिता की भूमि के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बाधा कारित ना करें।

वादी की ओर से अपने वाद पत्र के संदर्भ/समर्थन में निम्न दस्तावेजात प्रस्तुत किये गए है:–

1. प्रदर्श पी 1:– सत्य प्रतिलिपी जमाबंदी संवत 2076–2079 खाता सं 197 (नवीन) वाके ग्राम अरनिया तहसील आमेर। जिसके अनुसार उल्लेखित भूमि वादग्रस्त आ.ख.नं. 870, 871 वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण सं 29 ता 31 की संयुक्त खातेदारिता की भूमि है जिसके अंतर्गत वादी का 1/2 हिस्सा निहित है।
2. प्रदर्श पी 2:– खसरा नक्शा एवं जमाबंदी दिनांक 15.02.2022 बाबत खं.नं. 868, 869 वाके ग्राम अरनिया। जिसके अनुसार प्रदर्शित भूमि ख.नं. 868, 869 भूमि ख.नं. 870, 871 वादी की पश्चिमी सीमा की सींवजोड भूमि है।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किए गए। जिसके क्रम में प्रतिवादीगण सं 6, 9, 12, [illegible] की ओर से दिनांक 26.07.2022 को वकालतनामा पेश किया तथा शेष प्रतिवादीगण सं 1 ता 5, 7, 8, [illegible] ता 16, 18, 19, 20, 22, 24, 29, 30, 31 के बावजूद प्राप्ति रजि. नोटिस दिनांक [illegible] उपस्थित नहीं होने पर उक्त प्रतिवादीगण के विरूद्ध दिनांक 26.07.2022 को [illegible] तारित किया जाकर पत्रावली वास्ते जवाब दावा प्रतिवादीगण 6, 9, 12, [illegible] की गई। जिसके अनुसरण में उक्त प्रतिवादीगण की ओर से दिनांक [illegible] को जवाब [illegible] प्रस्तुत किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.01.29 15:54:34 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण सं 6, 9, 12, 21, 23, 25, 26, 27 की ओर से जवाब वादपत्र प्रस्तुत कर अभिकथन किया गया कि उल्लेखित भूमि वादग्रस्त ख.नं. 870, 871 की भूमि को वादी ने प्रतिवादीगण के पूर्वज साधूराम मीणा को संवत 2037 में 2 बीघा की एक पट्टी बेचान की थी तथा वादी द्वारा बेचान की राशि 2000/– नगद प्राप्त कर प्रतिवादीगण के पूर्वजज साधूराम के हक में एक लिखावट बहीखाता में लिखी गई थी जिस पर वादी ने स्वयं हस्ताक्षर किए है तथा बेचान के दिन ही वादी ने प्रतिवादीगण के पूर्वज को उक्त बेचान की गई कृषि भूमि का भौतिक व वास्तविक कब्जा करवाकर साधूराम मीणा को

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय–जयपुर

उसका नाम रिकॉर्ड में दर्ज करवाने का आश्वासन दिया गया था जिस पर प्रतिवादीगण के पूर्वज साधूराम मीणा ने वादी पर विश्वास कर लिया तथा ख.नं. 870 व 871 की भूमि पर काश्त करता रहा था जिसके पश्चात उसके वारिसान निरन्तर कब्जा काश्त होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे है। प्रतिवादीगण का पूर्वज साधूराम एक अनढ व्यक्ति था इसलिए वादी की बातो पर नाम हस्तांतरण के आश्वासन पर विश्वास कर लिया परन्तु वादी के मन में बेईमानी होने के कारण वादी ने उक्त बेचान की गई भूमि को राजस्व रिकार्ड में साधूराम के नाम दर्ज नहीं करवाई गई तथा भूमि को हडपने की नियत से अब वादपत्र न्यायालय हाजा में मनगंढत तथ्यो पर यह कहते हुए प्रस्तुत किया है कि भूमि पर वादी का कब्जा है। जबकि उक्त भूमि पर वादी द्वारा बेचान किए जाने के दिन से ही प्रतिवादीगण के पूर्वज साधूराम का कब्जा काश्त व उसके उपरान्त उसके वारिसान/प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त निरन्तर बदस्तरे जारी है। जिस पर वर्तमान में बाजरे की फसल काश्त है। इसके बावजूद भी वादी ने मनगढंत तथ्यो पर भूमि पर स्वयं का कब्जा होना बताते हुए न्यायालय हाजा के समक्ष झूठे तथ्यो के आधार पर वाद प्रस्तुत किया गया है जो खारिज योग्य है। जबकि प्रतिवादीगण व उनके पूर्वज निरन्तर लगभग चालीस वर्षो से अधिक समय से काबिज होकर काश्त करते आ रहे है वादी का संवत 2037 के पश्चात कभी भी किसी प्रकार का कोई कब्जा उक्त विवादित भूमि पर नहीं रहा है। वादी ने तथ्यो को छिपाते हुए तथा मन में बेइमानी आ जाने व प्रतिवादीगण के पूर्वज साधूराम मीणा को वेचान की गई भूमि को हडपने की गरज से प्रतिवादीगण को दबाब में लाने की नियत से असत्य तथ्यो अनुसार वाद पेश किया गयचा है। जो कि प्रतिवादीगण सं 29, 30 तरतीबी प्रतिवादीगण की जानकारी व ज्ञान में है इसलिए वे वादी के बहकावे में आकर कोई कार्यवाही नहीं चाहते। इसलिए प्रतिवादीगण सं 29, 30, 31 ने हस्ताक्षर नहीं किए है। जो खारिज किया जाना उचित व आवश्यक है तथा अन्दर मियाद नहीं होने के कारण सरसरी तौर पर खारिज योग्य है। इस प्रकार वादी किसी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नही है तथा वादी को कोई हक अधिकार नही है कि वह प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवा सके। अतः वाद वादी खारिज फरमाया जाकर वादी को पाबंद किया जावे कि वह तथाकथित वादग्रस्त भूमि आ.ख.नं. 870 व 871 में अवैध रूप से प्रवेश ना करे तथा प्रतिवादीगण को उक्त भूमि में उनके कब्जा काश्त व उपयोग–उपभोग में बाधा कारित ना करे।

प्रतिवादीगण की ओर से अपने जवाब वाद पत्र के संदर्भ/समर्थन में कोई मान्य साक्ष्य दसवेजात प्रस्तुत नही कर तथाकथित मौका फोटोग्राफ पेश किए गए है जो प्रदर्श ए 1 ता ए6 है तथा खाता बही कच्ची लिखावट की छायाप्रति पेश की गई है जो प्रदर्श नहीं है तथा राज. मरूधरा ग्रामीण बैक शाखा चन्दवाजी को KCC खाता सं 83081072756 की पासबुक की छायाप्रति पेश की गई है जिसमें खाता धारक के रूप में गोकुल नारायण (वादी) का नाम प्रदर्शित है। उक्त दस्तावेज भी छायाप्रति होने से (प्रदर्श) अंकित नहीं है।

उभयपक्षकारान के अभिकथनो के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गईः–

1. आया वादी स्वयं की सहखातेदारिता में दर्ज भूमि आराजी खसरा नं. 870, 871 की पश्चिम दिशा की सीमा स्थित भूमि के सन्दर्भ में प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है।

–वादी

2. आया उल्लेखित वादग्रस्त भूमि आराजी खसरा नम्बर 870 व 871 में से स्वयं वादी द्वारा 2 बीघा की एक पट्टी को प्रतिफल राशि प्राप्त कर प्रतिवादीगण के पूर्वज साधूराम को बेचान की गई थी।

–प्रतिवादीगण

3. आया भूमि कय किये जाने के क्रम में प्रतिवादीगण भूमि वादग्रस्त पर विगत 40 वर्षो से निरन्तर काबिज है।

–प्रतिवादीगण

4. अनुतोष ?

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.01.29 15:54:34 IST
Reason: SelfAttested

कायम तनकीयात के क्रम में वादी की ओर से शपथ पत्र वादी गोकुल नारायण पुत्र बालू जाति ब्राह्मण का पेश कर ... की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र ... पुत्र साधूराम मीणा ... मीणा के पेश कर बयान कलमबद्ध कराये गए। उक्तानुसार वादी–प्रतिवादीगण साक्ष्य जिरह पूर्ण की जाकर पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई जिसके क्रम में उभयपक्षकारान की बहस अंतिम सुनी गई।

हमने उभयपक्षकारान की बहस सुनी। तथ्यो पर मनन किया व पत्रावली का गौरपूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो के समग्र विवेचन व पत्रावली के गहन अवलोकन अनुसार प्रकरण का तनकीवार निस्तारण निम्न प्रकार हैः–

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय–जयपुर

तनकी सं. 1:– इस तनकी को सिद्ध करने की भारिता वादी पर थी। जिसके अनुसार वादी द्वारा यह सिद्ध किया जाना अपेक्षित था कि वादी स्वयं की सहखातेदारिता में दर्ज/अंकित भूमि (वादग्रस्त भूमि) आ.ख.नं. 870, 871 की पश्चिम दिशा में स्थित भूमि के संदर्भ में प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है। उक्त संदर्भ में वादी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेज प्रदर्श पी–1 सत्य प्रतिलिपी जमाबंदी खसरा नं 870, 871 संवत 2076–2079 वाके ग्राम अरनियां तहसील आमेर यह स्पष्ट होता है कि उल्लेखित भूमि (वादग्रस्त) ख.नं 870, 871 वादी व प्रारूपिक प्रतिवादीगण 29 ता 31 की सहखातेदारिता की भूमि है। जिससे प्रतिवादीगण सं (1 ता 28) का कोई संबंध सरोकार प्रदर्शित नही होता है। जिससे प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने की वादी की अधिकारिता की पुष्टि होती है। जिसके बाबत राज.काश्त.अधि. की धारा 188 द्वारा भी एक खातेदार काश्तकार को अपनी खातेदारिता की भूमि बाबत गैर खातेदार काश्तकार को पाबंद कराने के अधिकार का प्रावधान किया गया है। जिससे यह तनकी वादी के पक्ष में सिद्ध होती है।

तनकी सं 2:– इस तनकी को सिद्ध करने की भारिता प्रतिवादीगण पर थी। जिसके अनुसार प्रतिवादीगण द्वारा यह सिद्ध किया जाना अपेक्षित था कि वादग्रस्त भूमि आराजी खसरा नम्बर 870 व 871 में से स्वयं वादी द्वारा 2 बीघा की एक पट्टी को प्रतिफल राशि प्राप्त कर प्रतिवादीगण के पूर्वज साधूराम को बेचान की गई थी तथा प्रतिवादीगण के कथानुसार बेचान के दिन से ही प्रतिवादीगण का पूर्वज तथा उसके पश्चात प्रतिवादीगण निरन्तर काबिज है। परन्तु इस संदर्भ में प्रतिवादीगण की ओर से ऐसा कोई एकमात्र भी मान्य साक्ष्य दस्तावेज (विक्रय पत्र) प्रस्तुत नहीं किया गया है जो वादी द्वारा भूमि के प्रतिवादीगण के पूर्वज साधूराम को विक्रय की पुष्टि करते हो। जो तथाकथित कच्ची लिखावट बहीखाता की छायाप्रति प्रतिवादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत की गई है। वह विधि द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं होने से भूमि क्रय किये जाने के संदर्भ में प्रतिवादी पक्ष के कथन की पुष्टि नहीं होती है। अतः यह तनकी सिद्ध नहीं होने से विरूद्ध प्रतिवादीगण तय की जाती है।

तनकी सं. 3:– इस तनकी को सिद्ध करने की भारिता प्रतिवादीगण पर थी। जिसके अनुसार प्रतिवादीगण द्वारा यह सिद्ध किया जाना अपेक्षित था कि भूमि कय किये जाने के क्रम में प्रतिवादीगण भूमि वादग्रस्त पर विगत 40 वर्षो से निरन्तर काबिज है। इस संदर्भ में तथाकथित रूप से भूमि क्रय किए जाने के दिन से ही प्रतिवादीगण के पूर्वज तथा उसके पश्चात प्रतिवादीगण के निरन्तर उक्त भूमि पर काबिज होने के संदर्भ में कब्जाकाश्त की पुष्टि बाबत ऐसा कोई एकमात्र भी मान्य साक्ष्य दस्तावेज/खसरा गिरदावरी प्रस्तुत नहीं की गई है जो भूमि पर कभी भी प्रतिवादी पक्ष के कब्जा काश्त की पुष्टि करता हो। जो तथाकथित मौका फोटोग्राफ प्रदर्श ए–1 ता ए–6 प्रतिवादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत किए गए है। उनमें मौके/विवादित भूमि पर प्रतिवादी पक्ष के कब्जाकाश्त की पुष्टि नहीं होती है। जबकि दौराने बहस वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेज खसरा गिरदावरी सम्वत 2080 (रबी एवं खरीफ) तथा एफ.आर रिपोर्ट पुलिस थाना चन्दवाजी दिनांक 30.07.2022 अनुसार भी भूमि पर कब्जाकाश्त वादी का होना प्रदर्शित है। अतः सिद्ध नहीं होने से यह तनकी विरूद्ध प्रतिवादीगण तय की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.01.29 16:54:34 IST
Reason: SelfAttested

अवलोकन

उभयपक्षकारान के अभिकथनो एवं [illegible] के विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि वादअधीन उल्लेखित भूमि वादग्रस्त [illegible] 870, 871 [illegible] व प्रारूपिक प्रतिवादीगण सं 29 ता 31 की एकल सहखातेदारिता की भूमि [illegible] प्रतिवादीगण का कोई संबंध सरोकार व हक अधिकार सिद्ध नहीं होता है तथा कब्जाकाश्त के संदर्भ में भी प्रस्तुत दस्तावेजात (खसरा गिरदावरी) अनुसार भी भूमि के संदर्भ में हक अधिकारिता वादी की सिद्ध होती है तथा भूमि क्रय किये जाने व निरन्तर कब्जाकाश्त के संदर्भ में प्रतिवादीगण पक्ष द्वारा अपने हक अधिकार संबंधित कथन प्रमाणित व सिद्ध नहीं किए जा सके है। इसके अतिरिक्त भी वादी की ओर से स्वयं की अभिलिखित खातेदारिता व कब्जाकाश्त की भूमि के संदर्भ में वाद प्रस्तुत किया गया है। जबकि प्रतिवादी के कथन काउन्टर क्लेम के विषय है। जो सक्षम साक्ष्य अनुसार प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था परन्तु प्रतिवादी पक्ष की ओर से कोई काउन्टर क्लेम भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे अभिलिखित खातेदारिता के परिपेक्ष्य में ही

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय–जयपुर

वाद का निस्तारण अपेक्षित है। अतः वाद वादी स्वीकार/डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण सं 1 ता 16, 18 ता 27 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे ग्राम अरनिया तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित भूमि आ.ख.नं. 870 रकबा 0.22 है., आ.ख.नं. 871 रकबा 0.1700 है. जो कि वादी व प्रतिवादीगण (प्रारूपिक) सं 29 ता 31 की सहखातेदारिता की भूमि है, में वादी के निर्बाध कब्जाकाश्त में किसी प्रकार की मदाखलत ना करें ना ही उक्त भूमि की सीमाओं में किसी प्रकार का अविधिक निर्माण कार्य करे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 06.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

(डॉ. लक्ष्मीनारायण बुनकर)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर,
मुख्यालय, जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.01.29 15:54:34 IST
Reason: SelfAttested